न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—150/2021/225 आर.टी.एक्ट (2021/150)

1. गुलाब खां पुत्र करीम खां जाति मुसलमान उम्र लगभग 71 वर्ष,
2. शाहबुद्दीन पुत्र मरहूम गफूर खां जाति मुसलमान उम्र 51 वर्ष
3. अजीज मोहम्मद पुत्र मरहूम गफूर खां जाति मुसलमान उम्र 48 वर्ष
4. अलानूर पुत्र मरहूम गफूर खां जाति मुसलमान उम्र 47 वर्ष
5. हुरौन पुत्र मरहूम गफूर खां जाति मुसलमान उम्र 48 वर्ष
6. इकबाल पुत्र मरहूम गफूर खां जाति मुसलमान उम्र 43 वर्ष
7. रोशन पुत्री मरहूम गफूर खां जाति मुसलमान उम्र 53 वर्ष
8. अफरोज पुत्री मरहूम गफूर खां जाति मुसलमान उम्र 40 वर्ष
9. फिरोज पुत्री मरहूम गफूर खां जाति मुसलमान उम्र 35 वर्ष
10. रीमा पुत्री मरहूम गफूर खां जाति मुसलमान उम्र 33 वर्ष
11. नसरू पुत्री मरहूम खातून पुत्री गफूर खां जाति मुसलमान उम्र 35 वर्ष
12. हारून पुत्र मरहूम रहीसा पुत्री गफूर खां जाति मुसलमान उम्र 30 वर्ष
13. जमील पुत्र मरहूम रहीसा पुत्री गफूर खां जाति मुसलमान उम्र 20 वर्ष

सर्व निवासीगनण ग्राम तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

अपीलांट

बनाम

1. संजू देवी पत्नी पांचूराम जाति जाट, बालिग, निवासी ग्राम रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
2. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, रूपनगढ़

रेस्पोडेंट

3. सुखी बैवा हीरा कौम गूजर, बालिग निवासी ग्रम थल तहसील रूपनगढ
4. गोविन्द पुत्र हीरा कौम गूजर, बालिग निवासी ग्राम थल तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान— फौत हो चुका है जिनके वारिसानः—
   - 4/1 रामनिवास पुत्र स्व0 गोविन्द, बालिग जाति गूजर निवासी ग्राम केरिया की ढाणी, अमरपुरा तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
   - 4/2 गीगाराम पुत्र स्व0 गोविन्द, बालिग जाति गूजर निवासी ग्रम केरिया की ढाणी, अमरपुरा तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
   - 4/3 कमला पुत्री स्व0 गोविन्द बालिग जाति गूजर हाल निवासी ग्राम छापरी तहसील सांभर लेक जिला जयपुर राजस्थान।
5. रामपाल पुत्र हीरा कौम गूजर, बालिग निवासी ग्रम थल तहसील रूपनगढ
6. बिरदाराम पुत्र लादू कौम गूजर, बालिग निवासी ग्राम थल तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर हाल निवासी ग्राम चितारा तहसील कराहल जिला श्योपुर मध्यप्रदेश।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

7. रामचरण पुत्र हीरालाल
8. बिसनाराम पुत्र हीरालाल
9. किशनाराम हीरालाल
10. मु.भूली बैवा उगमाराम
11. रामदयाल पुत्र उगमाराम

12. मुकेश नावा, पि0 उगमाराम नावा, जरिए संरक्षक माता भूली वैवा उगमाराम सर्व कौम जाट सर्व निवासीगण ग्राम थल तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान
13. श्यामा वल्द छीतर कौम कुम्हार निवासी ग्राम थल तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान –फौत हो चुका है जिनके वारिसान
    13/1 बोदू पुत्र स्व0 श्यामा जाति कुम्हार निवासी ग्राम थल
    13/2 देवकरण पुत्र स्व0 श्यामा जाति कुम्हार निवासी ग्राम थल
    13/3 मांगी देवी पुत्री स्व0 श्यामा पत्नी रामधन जाति कुम्हार निवासी ग्राम थल ।
    13/4 कान्ता देवी पुत्री स्व0 श्यामा पत्नी भींगराज जाति कुम्हार निवासी ग्राम थल ।
14. रूपचंद पुत्र सुजाराम कौम बावरी निवासी ग्राम सुरसुरा तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
15. तेजा वल्द छीतर कौम जाट निवासी ग्राम थल तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान– फौत हो चुका है जिनके वारिसानः–
    15/1 पेमाराम पुत्र स्व0 तेजा जाति जाट निवासी ग्राम थल
    15/2 गोविन्द पुत्र स्व0 तेजा जाति जाट निवासी ग्राम थल
    15/3 नानी देवी पुत्री स्व0 तेजा जाति जाट निवासी ग्राम थल ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ विरूद्ध निर्णय दिनांक 16.01.2019 राजस्व वाद संख्या 11/2015

उपस्थितः–

1. श्री विमल किशोर तिवाडी, हसन खान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री अरविंद दाधीच, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1, 14
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 02
4. रेस्पोडेंट संख्या 3 से 13/4, 15/1 से 15/3 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः–22.11.2022

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के द्वारा प्रकरण संख्या 11/2015 में पारित आदेश दिनांक 16.01.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रफोर्मा रेस्पोडेन्टस/प्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 6 के स्वत्व अधिकार, कब्जे एवं संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 146 रकबा 10 बीघा 07 बिस्वा किस्म बंजर प्रथम ग्राम थल तहसील रूपनगढ़ में अवस्थित है जिसमें प्रफोमा रेस्पोडेन्टस/प्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 5 का अधिकार अभिलेख अनुसार हिस्सा 9/13 ब.हि.ब. एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी संख्या 06 का अधिकार अभिलेख अनुसार हिस्सा

4/13 राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खातेदारी दर्ज है। प्रफोर्मा रेस्पोडेन्टस/प्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 6 की उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर 146 के पश्चिम दिशा में निजी खातेदारी काश्तकारों अर्थात प्रफोर्मा रेस्पोडन्टेस/अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 15 की निजी खातेदारी की भूमि में से ही रेस्पोडेन्टस/प्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 6 की भूमि में पहुॅचने हेतु निकतटम सरल रास्ता उपलब्ध होना आवश्यक है जो रिकार्डेड रास्ते को जोड़ता है। प्रफोर्मा रेस्पोडेन्टस/प्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 6 की भूमि खसरा नम्बर 146 के पश्चिमी दिशा में लगती हुई प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी संख्या 15 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 97/7 उसके आगे लगती हुई प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी संख्या 14 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 97/4 उसके आगे लगती प्रफोर्मा रेस्पोडेन्टस/अप्रार्थीगण संख्या 7 लगायत 13 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 99 की भूमि है तथा उसके आगे रिकार्डेड आम रास्ता है। प्रफोर्मा रेस्पोडेन्टस/प्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 6 अपनी उपरोक्त खसरा नम्बर 146 की कृषि भूमि तक पहुॅचने के लिए प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 6 की भूमि के पश्चिमी दिशा में प्रफोर्मा रेस्पोडेन्टस/अप्रार्थीगण संख्या 7 लगायत 15 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 97/4, 97/7 एवं 99 की सींव डोल के सहारे सहारे 20 फीट चौड़ा रास्ता मुख्य गांवाई रिकोर्डेड रास्ता तक चाहते है। गांवाई रास्ता की नक्शा ट्रेस में तरमीम हो रखी है तथा मौके पर गांवाई रास्ते के रूप में चला आ रहा है। प्रफोर्मा रेस्पोडेन्टस/अप्रार्थीगण संख्या 7 लगायत 15 की उक्त खातेदारी की भूमि की सींव मेड़ से लगता हुआ उक्त रास्ता प्राप्त होने पर प्रफोर्मा रेस्पोडेन्टस/प्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 6 अपनी खातेदारी की भूमि में गांवाई रास्ते से होकर अपने खेत तक आ जा सकते है, जो सुगम, सुलभ निकटतम रास्ता है, इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वर्तमान रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी संख्या 01 से 04 को अपने खातेदारी खेत खसरा में आने–जाने के लिए रिकोर्डेड दिलवाया जाकर, रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में करवाया जावे। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तत्पतश्चात मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। मौका रिपोर्ट में रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता दीघ्रत्तम रास्ता बताया गया तथा खसरा नम्बर 101, 102 में से लघुत्तम रास्ता बताया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 101 व 102के खातेदारो को प्रार्थना पत्र द्वारा पक्षकार संयोजित कर, सुनवाई हेतु नोटिस तामील करवा कर, अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही पटवारी हल्का की एक पक्षीय मौका रिपोर्ट जो अपीलांट को प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित करने से पूर्व ही मंगवाई गई है, को आधार बनाकर विधि विरूद्ध आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के आदेश दिनांक 16.01.2019 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में पक्षकारान की प्रोपर तामील करवा गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 13/4 व 15/1 से 15/3 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं हुए। अपील में अभिभाषक अपीलांटस एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 14 की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए कथन किया कि दिनांक 30.6.2021

को प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण अपनी खातेदारी एवं कब्जे कास्त की कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर रहे थे तब रेस्पोडेंट संख्या 1 व उसके पति पांचूराम आए तथा प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को कहा की हमने तुम्हारी खातेदारी की भूमि में से कोर्ट से रास्ता ले लिया है एवं नक्शा में उसकी तरमीम करवा ली गई है तब प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण ने रेस्पोडेंट संख्या 1 व उसके पति को कहा की हमारे को तो किसी तरह की कोई सूचना हमारी खातेदारी की भूमि में से रास्ता लेने बाबत नहीं दी गई है। तब प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण ने अपनी खातेदारी की जमीन की नकले व न्यायालय से रास्ते के प्रकरण की पत्रावली की नकले दिनांक 5.7.2021 को प्राप्त करके अन्य अभिभाषक से सम्पर्क किया तो अभिभाषक ने बताया की तुम्हारी जमीन से रास्ता देने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया है तब प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्राप्त हुई है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार रूपनगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया है जो विधि द्वारा वर्जित है क्योंकि धारा 251ए के तहत बने नियम 69 के अनुसार मौका निरीक्षण उपखण्ड अधिकारी स्वयं अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक एवं उससे उच्च अधिकारी द्वारा बनाया जाता है। जब कि उक्त प्रकरण में मौका निरीक्षण दिनांक 20.10.2015 को पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है जो धारा 251 ए के प्रार्थना पत्र में सक्षम अधिकारी नहीं होने से उक्त पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट स्वीकार योग्य नहीं होने पर निरस्त किए जाने योग्य है। उक्त प्रकरण में प्रफोर्मा रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 6 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी भूमि में आने जाने हेतु रास्ते की मांग करने का प्रर्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन रहते हुए ही प्रफोर्मा रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 6 ने उनकी सम्पूर्ण कृषि भूमि का बैचान रेस्पोडेंट संख्या 1 को कर दिया जो कि वाद लम्बन के दौरान अंतकरण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट को आधार मान कर उक्त प्रकरण में अपीलार्थीगण की भूमि में से रास्ता दिए जाने का आदेश पारित कर दिया। प्रफोर्मा रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 6 के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 (2) सी.पी.सी के अंतर्गत पेश कर अपीलार्थी संख्या 1 व अपीलार्थीगण संख्या 2 लगायत 13 के पूर्वज गफूर खां पुत्र बोदू खां को पक्षकार संयोजित किए जाने का पेश किया गया जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी संख्या 1 व अपीलार्थीगण संख्या 2 लगायत 13 के पूर्वज गफूर खां पुत्र बोदू खां को पक्षकार अप्रार्थीगण के रूप में संयोजित किया गया है जबकि उक्त प्रार्थना पत्र केवल मात्र पक्षकार को हटाने का है। अपीलार्थी के अभिभाषक व अपीलार्थीगण के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 6.7.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कि गई। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश अपीलार्थीगण के विरूद्ध पारित किया गया उसकी भी जानकारी अपीलार्थीगण को नहीं दी। अपीलार्थीगण संख्या 2 लगायत 13 के पूर्वज गफूर खां पुत्र बोदू की मृत्यु दिनांक 26.8.2020 को होने के कारण उनके वारिसान

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अपीलार्थीगण संख्या 2 लगायत 13 होने से इस अपील में पक्षकार संयोजित किए गए है। अपीलार्थीगण ने अपनी कब्जे काश्त एवं खातेदारी की ग्राम थल पटवार हल्का थल में स्थित खसरा नम्बर 101 व 102 की सम्पूर्ण भूमि में वर्तमान में काश्त वो रखी है एवं उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें व उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.01.2019 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की अपीलांट को शुरू से जानकारी थी क्योकि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने अभिभाषक के जरिये अपनी उपस्थिति दर्ज करायी थी। अपीलांट ने जानबूझ कर मियाद बाहर अपील पेश की है अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1, 14 ने तत्पश्चात जवाब/ बहस अपील में कथन किया कि अप्रार्थीगण के स्वत्व अधिकार, कब्जे एवं संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 146 रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा किस्म बंजर प्रथम ग्राम थल पटवार क्षेत्र थल भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थल तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर में अवस्थित है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 का अधिकार अभिलेख अनुसार हिस्सा 9/13 ब.हि.ब एवं अप्रार्थी संख्या 4 का अधिकर अभिलेख अनुसार हिस्सा 4/13 राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर 146 के पश्चिम दिशा में निजी खातेदार काश्तकारी अर्थात प्रार्थीगण की निजी खातेदारी की भूमि में से ही अप्राथीगण की भूमि मे पहुंच हेतु निकटतम सरल रास्ता उपलब्ध होना आवश्यक है जो रिकार्डेड रास्ते को जोडता है। अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 146 के पश्चिम दिशा में लगती हुई प्रार्थी संख्या 9 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 97/7 उसके आगे लगती हुई प्रार्थी संख्या 8 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 97/4 उसके आगे लगती प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 99 की भूमि है तथा उसके आगे रिकार्डेड आम रास्ता है अप्रार्थीगण अपनी उपरोक्त खसरा संख्या 146 की कृषि भूमि तक पहुंच के लिए अप्रार्थीगण की भूमि के पश्चिम दिशा में प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 97/7, 97/4 एवं 99 की सींव डोल के सहारे सहारे 20 फीट चौडा रास्ता मुख्य गांवाई रिकार्डेड रास्ता तक चाहते हैं। मंगाई गई मौका रिपोर्ट में प्रार्थी द्वारा चाह गया रास्ता लम्बा रास्ता बताया गया तथा खसरा नम्बर 101, व 102 में रास्ता लघुत्तम बताया है अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 101, व 102 के खातेदारो को नोटिस जारी कर प्रोपर तामील करवा दिये गये थे। अपीलांट/अप्रार्थीगण जान बूझकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय में विधि सम्मत आदेश पारित किया है अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में राजस्व रेकार्ड व मौके पर रास्ता कायम कर दिया गया है तथा अपीलांट ने डी.एल.सी. की दुगन्नी राशि प्राप्त कर ली है, ऐसी स्थिति में उक्त अपील में कोई बल नहीं है इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावे। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अपील अपीलांटस को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्धान अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कारण संतोषप्रद होने एवं सद्भाविक होने से एवं प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करने के कारण मियाद के विन्दू पर नरम रूख अपनाते हुए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझते है। **अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।**

9. गुणावगुण पर पत्रावलियों का अवलोकन किया गया एवं विद्धान अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया । बाद अवलोकन पाया कि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी संख्या 1 से 04 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर खसरा नम्बर 97/4, 97/7, व 99 में से रास्ते की मांग की गई थी। प्रार्थना पत्र दर्ज होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मंगाई मौका रिपोर्ट में लघुत्तम व दीघ्रत्तम रास्ते का अंकन करते हुए पटवारी हल्का ने दिनांक 20.10.2015 को मौका रिपोर्ट बनाकर पेश की है। रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी द्वारा मांगा गया रास्ता मौका रिपोर्ट में दीघ्रत्तम बताया गया है तथा खसरा नम्बर 101 व खसरा नम्बर 102 में से दिया जाना रास्ता लघुत्तम बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद दिनांक 08.12.2016 को प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जा.दी. पेश कर खसरा नम्बर 101 व 102 के खातेदारो को पक्षकार मुर्तिब करने बाबत् पेश किया गया था । प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर 101 व 102 के खातेदारो की नोटिस द्वारा तामील करवा प्रार्थना पत्र पर दिनांक 16.01.2019 आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मंगाई मौका रिपोर्ट के अवलोकन से पाया कि उक्त मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट है, उक्त मौका रिपोर्ट अपीलांट को प्रार्थना पत्र में पक्षकार मुर्तिब करने से पूर्व की है।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मंगाई मौका रिपोर्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के सरकारी नियम 69 की पालना करते हुए नहीं मंगवाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि अपीलांट को पक्षकार मुर्तिब करने के बाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के सरकारी नियम 69 की पालना में करते हुए उभयपक्ष की उपस्थिति में दुबारा मौका रिपोर्ट मंगवा कर विधि सम्मत आदेश पारित करना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विधिक प्रावधानो को नजरअंदाज कर आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं है। उपरोक्त सभी कारणों से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.01.2019 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त विवेचना अनुसार पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

10. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ के द्वारा प्रकरण संख्या 11/2015 में पारित आदेश दिनांक 16.01.2019 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

है कि वे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सरकारी नियम 69 के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट मंगवा कर, यदि मौका रिपोर्ट पर आपत्ति आती है तो उसका निस्तारण कर धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए पुनः दो माह में विधि सम्मत आदेश करें। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.12.2022 को उपस्थिति होने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 22.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर